

पूर्वात्तर रेलवे



कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

सं० का/227/2/रि-इन्जमेन्ट/IV

दिनांक 18-12-2019

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वात्तर रेलवे।

विषय:-सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के रि-इन्जमेन्ट पर मासिक पारिश्रमिक
Monthly remuneration के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 25.11.2019

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 25.11.2019 द्वारा जारी निर्देशों के आलोक में प्रमुकाधि स्तर पर समीक्षा की गई तथा समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं :-

1- सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को रि-इन्जमेन्ट पर उनका मासिक पारिश्रमिक रेलवे बोर्ड के पत्र सं०ई(एनजी)-11/2007/आरसी-4/कोर/1 दिनांक 24.10.2019 में दिये गए निर्देशों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

2- यदि किसी विभाग/मण्डल/इकाई के निर्देशों के अन्तर्गत देय भुगतान से अधिक पारिश्रमिक (Remuneration) दिया गया है तो उसकी रिकवरी सुनिश्चित कर ली जाए। जहाँ पर रिकवरी सम्भव न हो वहा पर अधिकारी/कर्मचारियों को नोटिस देकर रिकवरी करना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त पर प्रमुकाधि महोदय का आदेश प्राप्त है।



(सनत जैन)

उपमुकाधि/अराज

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक